



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक: ९७७ / अका./ अनुमोदन / 2016

रायपुर, दिनांक: २६/०८/२०१६

प्रति,

संचालक/प्राचार्य
सर्वतोमुखी समाधान कालेज,
ग्राम-फरी, पो.-बीजभाटा, बेमेतरा,
जिला - बेमेतरा (छ.ग.)

विषय: परिनियम 28 के तहत प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 540/2016 दिनांक 31.05.2016.

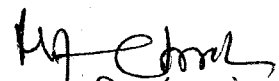
आपके महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के परिनियम 28 के तहत विषयांकित हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा दिनांक 31.05.2016 को आयोजित साक्षात्कार में अनुशंसित उम्मीदवार की नियुक्ति का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2016 में निम्नानुसार किया गया है :-

पदनाम	चयनित उम्मीदवार का नाम	वेतनमान
प्राचार्य	डॉ. पन्ना लाल यादव	यू.जी.सी. के छठवें वेतनमान के अनुसार देय होगा।

उक्त चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति, पत्र निर्गमन की तिथि या उसके बाद की तिथि से मान्य होगी। प्राचार्य की नियुक्ति पांच वर्ष के लिए की जाएगी। पांच वर्ष पश्चात् शासी निकाय यदि कार्यकाल में वृद्धि करना चाहे तो, इन्हीं चयन समिति द्वारा अनुमोदन कर पुनः एक अवसर पांच वर्ष के लिए दिया जा सकेगा। नियुक्ति आदेश 01 माह के अंदर रजिस्टर्ड डॉक से संबंधित चयनित उम्मीदवार को भेजे जिसमें वेतनमान का स्पष्ट उल्लेख हो तथा इसकी सूचना तत्काल विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

परिनियम 28(31)(3) के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् के अनुमोदन के बिना नियुक्त प्राचार्य को सेवा से पदच्युत नहीं किया जा सकेगा।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

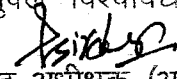

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक: ९७८ / अका./ अनुमोदन / 2016

रायपुर, दिनांक: २६/०८/२०१६

प्रतिलिपि :

01. उपरोक्त चयनित उम्मीदवार को।
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
03. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।


वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)